राज्य सरकार बनाम ओमप्रकाश

प्रकरण 236/2025

4/6/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06.06.25 को पेश हो।

6/6/25 पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार व अप्रार्थी संबंधी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 RTA स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया गया जो शामिल मिसल है। निर्णय की पालना हेतु TDR सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

... तहरीर
... 934
9/6/25

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर

क्रमांक–राजस्व / 2025 / 40 दिनाक

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
जयपुर द्वितीय सांगानेर

विषय :– ग्राम बाढ श्योपुर एवं सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा तहसील सांगानेर कॉलोनी बालाजी विहार 16 के संबध में राजस्थान काश्तकारी 177 की कार्यवाही हेतु प्रकरण भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– जरिये प्रार्थना पत्र परिवादी श्री पवन ।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में राजस्थान काश्तकारी अधिनि... कार्यवाही हेतु वाद व टी.आई. प्रार्थना पत्र व संबधित समस्त दस्ता... रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है...

43. रामनाथ पुत्र हरवक्ष मीणा
44. छोटी वगैरह
45. सुखा दत्तक पुत्र श्योजीराम ...
46. श्री गणपति गृह निर्माण सह...
नांगल जैसा बोहरा , झोटवा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
सिविल प्रकरण संख्या : 236 / 2025
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोविन्दराम, छोटीलाल, नेहनूराम, प्रभूलाल, मूलीराम, रामचन्द पुत्र नारायण
2. रामजीलाल पुत्र मेदराम
3. बाबुडी पत्नि रामगोपाल
4. सुखा दत्तक पुत्र श्योजीराम
5. छोटा पत्नि मांग्या
6. छोटी देवी पत्नि भगवानसहाय
7. दिनेश, बुद्धिप्रकाश शर्मा, रूचि पुत्र भगवानसहाय
8. नानगराम, बाबूलाल पुत्र गणेश
9. बदरीनारायण, पुत्र मोतीलाल,हनुमान पुत्र मांग्या
10. रामनाथ पुत्र हरबक्ष
11. कल्ली पत्नि काना
12. फैलीराम पुत्र काना
13. लाला पुत्र मंगला
14. कमलादेवी पत्नि बद्रीनारायण
15. मूलचन्द पुत्र नारायण
16. रामगोपाल मीणा पुत्र नानगराम
17. बाबू देवी पत्नि रामगोपाल
18. ग्यारसीलाल, गोपाललाल, सांवतराम पुत्र छोटूराम
19. मनभरदेवी पत्नि बाबू
20. रामलाल पुत्र रामकिशन
21. लाला पुत्र मंगल
22. भगवानसहाय बनाम रामनिवास
23. कैलाश, गुल्लाराम, रामफूल, पुत्र श्रीनारायण
24. गणेश पुत्र रामचन्द्र
25. ग्यारसी पत्नि स्व0 जगदीश
26. नन्दा, बाबूलाल, भगवान पुत्र रामनिवास
27. मनीषा, सुनीता पुत्री लालाराम
28. रामसहाय पुत्र नन्दा
29. सन्तरा देवी पत्नि लालाराम
30.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
विविध प्रकरण संख्या : 236/2025
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गोविन्दराम, छोटीलाल, नेहनूराम, प्रभूलाल, मूलीराम, रामचन्द्र पुत्र नारायण
2. रामजीलाल पुत्र मेदराम
3. बाबुडी पत्नि रामगोपाल
4. सुखा दत्तक पुत्र श्योजीराम
5. छोटा पत्नि मांग्या
6. छोटी देवी पत्नि भगवानसहाय
7. दिनेश, बुद्धिप्रकाश शर्मा, रूचि पुत्र भगवानसहाय
8. नानगराम, बाबूलाल पुत्र गणेश
9. बदरीनारायण, पुत्र मोतीलाल,हनुमान पुत्र मांग्या
10. रामनाथ पुत्र हरवक्ष
11. कल्ली पत्नि काना
12. फैलीराम पुत्र काना
13. लाला पुत्र मंगला
14. क्मलादेवी पत्नि बद्रीनारायण
15. मूलचन्द पुत्र नारायण
16. रामगोपाल मीणा पुत्र नानगराम
17. बाबू देवी पत्नि रामगोपाल
18. ग्यारसीलाल, गोपाललाल, सांवतराम पुत्र छोटूराम
19. मनभरदेवी पत्नि बाबू
20. रामलाल पुत्र रामकिशन
21. लाला पुत्र मंगल
22. भगवानसहाय बनाम रामनिवास
23. कैलाश, गुल्लाराम, रामफूल, पुत्र श्रीनारायण
24. गणेश पुत्र रामचन्द्र
25. ग्यारसी पत्नि स्व0 जगदीश
26. नन्दा, बाबूलाल, भगवान पुत्र रामनिवास
27. मनीषा, सुनीता पुत्री लालाराम
28. रामसहाय पुत्र नन्दा
29. सन्तरा देवी पत्नि लालाराम
30.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

31. बाबूलाल, रामावतार, सीताराम, पुत्र रामजीवण जाति मीणा
32. कैलाश वगैरह
33. छोटा पत्नि रामगोपाल मीणा
34. भगवानसहाय पुत्र रामनिवास जाति मीणा
35. गोविन्दराम वगैरह
36. बाबूडी देवी पत्नि रामगोपाल मीणा
37. कमलादेवी वगैरह
38. गोविन्दराम वगैरह
39. ग्यारसीलाल वगैरह
40. बबू देवी पत्नि रामगोपाल मीणा
41. बद्री वगैरह
42. कल्ली वगैरह
43. रामनाथ पुत्र हरवक्ष मीणा
44. छोटी वगैरह
45. सुखा दत्तक पुत्र श्योजीराम मीणा
46. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि0 जरिये मंत्री 118, खातियों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>निर्णय</u>

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाढ श्योपुर के खसरा नं0 102, 103, 105, 143/1, 150, 155, 160, 236, 237, 238 कित्ता 10 रकबा 1.54 है0 की खातेदारी फैलीराम पुत्र काना हिस्सा 1/2 लाला पुत्र मंगल हिस्सा 1/2 जाति मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 104 रकबा 0.02 है0 की खातेदारी गणेश वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 139 रकबा 0.25 है0 की खातेदारी बाबूलाल, रामवतार, सीताराम पिता रामजीवण मीणा सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 140 रकबा 0.26 है0 कैलाश वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 141 रकबा 0.25 है0 व खसरा नं0 142 रकबा 0.29 है0 की खातेदारी छोटा पत्नि भगवान सहाय के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 143 रकबा 0.0062 की खातेदारी भगवानसहाय पुत्र रामनिवास मीणा के नाम दर्ज है। खसरा नं0 154 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै0 के नाम दर्ज है। खसरा नं0 239 रकबा 0.20, खसरा नं0 240 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 241 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 242 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 243 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 249 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 250 रकबा 0.16 है0 किता 7 रकबा 0.79 है0 की खातेदारी बाबूडी देवी पत्नि रामगोपाल मीणा श्योसिंहपुरा कल्लावाला के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 245 रकबा 0.10 है0 की खातेदारी कमलादेवी वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 246 रकबा 0.28 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै0 के नाम दर्ज है। खसरा नं0 231 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 247 रकबा 0.08 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 232 रकवा 0.23 है0 खसरा नं0 248 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी बाबूडी वगै0 के नाम दर्ज

रिकार्ड है। खसरा नं0 254 रकबा 0.06 है0 खसरा नं० 255 रकबा 0.07 है0 की खातेदारी बाबूडी वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 256 रकबा 0.06 है0 की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 144 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 146 रकबा 0.18 है0 खसरा नं0 146/300 रकबा 0.18 है0 खसरा नं0 146/299 रकबा 0.17 है0 की खातेदारी ग्यारसीलाल वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 138 रकबा 0.26 है0 की खातेदारी बावूदेवी पत्नि रामगोपाल मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 147 रकबा 0.49 है0 खसरा नं0 164 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 181 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 233 रकबा 0.36 है0 की खातेदारी कमला देवी वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 162 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 163 रकबा 0.13 है0 की खातेदारी बद्री वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 165 रकबा 0.12 है0 खसरा नं0 165/294 रकबा 0.04 है0 की खातेदारी कल्ली वगै० के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 166 रकबा 0.03 है0 की खातेदारी रामनाथ पुत्र हरबक्ष मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 167 रकबा 0.09 है0 तथा खसरा नं0 168 रकबा 0.03 है0 की खातेदारी छोटी वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 229 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 230 रकबा 0.22 है0 की खातेदारी सुखा दत्तक पुत्र श्योजीराम मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 234 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 235 रकबा 0.16 है0 की खातेदारी कमलादेवी वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 251 रकबा 0.04 है0 खसरा नं0 252 रकबा 0.07 है. खसरा नं0 253 रकबा 0.07 है0 किता 3 रकबा 0.18 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै० के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा में खसरा नं0 174 रक़बा 0.15 है0 की खातेदारी गोविन्द वगै0 व खसरा नं0 173 रकबा 0.15 है0 की खातेदारी गोविन्दराम वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम बाढ़ श्योपुर, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104, 105, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1, 144, 146, 146/300, 147, 146/299, 150, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 165/294, 166, 167, 168, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 एवं ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 173, 174 की भूमि गणेश वाटिका कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नही है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा न0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। खसरा नम्बर 102, 103, 104, 105, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1, 144, 146, 146/300, 147, 146/299, 150, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 165/294, 166, 167, 168, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 173, 174 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपयोग के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है प्रथम दृष्टया वाद में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम के खसरा नम्बर 102, 103, 104, 105, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1, 144, 146, 146/300, 147, 146/299, 150, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 165/294, 166, 167, 168, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 173, 174 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख0न0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दावा वादी पेरोकार सरकार तहसीलदार सांगानेर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 177 विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किये जाने पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 45 बावजूद तामिल सूचना के हाजिर नही होने पर दिनांक 23.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 46 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में है, जिस पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने का प्रार्थी कोई अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार विहीन होने से सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि का ग्राम बाढ श्योपुर, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में होना और उसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 के नाम होना स्वीकार है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण भूमि को मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 को विक्रय कर देने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 की आवासीय योजना बालाजी विहार–16 स्थित है। प्रार्थना पत्र खण्ड 2 में वर्णित तथ्य इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि के खातेदारान द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 को कर दिया है तथा मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 द्वारा क्रय करने के परिणामस्वरूप उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपनी आवासीय योजना बालाजी विहार–16 सृजित कर भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र जारी किये जा चुके है, वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कृषि कार्य न होकर उक्त आवासीय योजना के सदस्य काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि को उसके खातेदार काश्तकारों द्वारा मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 ने क्रय कर रखी है और क्रय करने के पश्चात् मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 द्वारा आवासीय योजना सृजित कर उसके भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र दिये जा चुके है जिस पर भूखण्डधारियों ने मकानात बनाकर बजमाने से उपयोग उपभोग कर रहे है

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु आवेदन भी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 द्वारा उक्त भूमि क्रय कर रखी है जिस पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 की आवासीय योजना बालाजी विहार–16 विकसित है जिसके नियमन का आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए भी प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का कोई रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है तो प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी के पक्ष में जब कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित ही नही है तो उसे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की भी सम्भावना नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्षेत्राधिकार विहीन प्रस्तुत किया है जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के खण्ड 1 में वर्णित भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ के नाम से सृजित है जिस पर भूखण्डधारियों द्वारा मकानात बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार काश्तकारों से उक्त भूमि क्रय कर आवासीय योजना सृजित की है। उक्त वादग्रस्त भूमि मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 की खरीदशुदा भूमि है, जिसके नियमन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम किया जाता है तो मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 46 को कोई आपत्ति नही है।

वादी व प्रतिवादी की बहस पर गोर किया एवं दावा जवाब दावा तथा प्रस्तुत जमाबंदी वाके ग्राम बाढ़ श्योपुर व ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा का परीक्षण किया जो उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 45 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे पेरोकार सरकार एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 45 उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 46 के पक्ष में जरिये विक्रय अनुबंध पर सहमति से विक्रय किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 46 के द्वारा उक्त कृषि भूमि ग्राम बाढ़ श्योपुर, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104, 105, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1, 144, 146, 146/300, 147, 146/299, 150, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 165/294, 166, 167, 168, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 एवं ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 173, 174 को बिना विहित प्राधिकारी के अनुमति के बिना आवासीय योजना श्री गणपति गृह निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से सृजित कर कर दी जिससे साफ जाहिर होता है प्रतिवादी संख्या 46 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है जिसका उसको कोई अधिकार नही था, प्रतिवादी संख्या 46 ने अपने जवाब दावे में भी आवासीय योजना सृजित करने कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को नियमन करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली पेश करना अंकित किया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया कि नियमन किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली नियमन हेतु पेश की गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 46 स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लघंन किया है क्योंकि बिना प्राधिकृत अधिकारी के कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में परिर्तन कराये बिना आवासीय प्रयोजनार्थ में लेने से प्रतिवादी द्वारा राजकीय हानि पहुॅचाने के साथ–साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघंन करने के कारण उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर सिवायचक घोषित किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार किया जाकर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग करने के कारण वाके ग्राम बाढ़ श्योपुर, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 102, 103, 104, 105, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143/1, 144, 146, 146/300, 147, 146/299, 150, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 165/294, 166, 167, 168, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 एवं ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नोहरा, तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 173, 174 सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर निर्णय अनुसार पालना करना सुनिश्चित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर